

—ग्यारह—

उत्तर प्रदेश सरकार

कर एवं निबन्धन अनुभाग-5

संख्या-क0नि0 5-1817 / 11-2001-500(121) / 2000

लखनऊ दिनांक 19 मार्च, 2001

अधिसूचना

आदेश

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में समय-समय पर यथासंशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 अधिनियम संख्या 2 सन् 1899 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, उक्त अधिनियम की अनुसूची 1-ख के अनुच्छेद 40 के खण्ड (क) के अधीन बंधक पत्र पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क से, धनराशि की उस सीमा तक जो पांच लाख रुपये से अधिक हो छूट प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि0 5-1817 / 11-2001-500 (121) / 2000 तददिनांक:

प्रतिलिपि: हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे इसे कृपया दिनांक: 18 मार्च, 2001 के असाधारण गजट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें, तत्पश्चात् गजट की 100 प्रतियां शासन के इस अनुभाग को तथा 100 प्रतियां महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0, इलाहाबाद के कार्यालय को प्राप्त कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(टी0 जार्ज जोसेफ)
प्रमुख सचिव।

संख्या: क0नि0-5-1817 / 11-2001-500 (121) / 2000 तददिनांक

प्रतिलिपि: हिन्दी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) आयुक्त, स्टाम्प/महानिरीक्षण निबन्धन, उत्तर प्रदेश, राजस्व परिषद भवन, इलाहाबाद।
- (2) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- (3) समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (5) समस्त अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त उप/सहायक आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (7) विधायी अनुभाग-1

आज्ञा से,
ह0अस्पष्ट
(यू0के0एस0 चौहान)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASHAN
Kar Evam Nibandhan Anubhag-5

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No. K.N.5- 1817/11-2001-500 (121)/2000 dated March 19, 2001 for general information.

**NOTIFICATION
ORDER**

**No.K.N.5- 1817/11-2001-500(121)/2000
Lucknow Dated March 19, 2001.**

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act. no. 2 of 1899) as amended from time to time in its application to Uttar Pradesh, the Governor is pleased to remit with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duly chargeable under clause (a) of Article 40 of Schedule 1-B of said Act on the instrument of Mortgage to the extent of the amount that exceeds rupees five lakh.

By order,
Sd/- Illegible
(T. GEORGE JOSEPH)
Pramukh Sachiv.